छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त, 2011 (भाद्रपद 8,1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री ननकीराम कंवर, गृहमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत प्रदाय अधिनियम,1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 69 की उपधारा (5) के पद (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 एवं 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजीत जोगी,रविन्द्र चौबे, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, सरगुजा जिले में पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत स्कूल किट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, बिलासपुर शहर की कालिका नगर निवासी महिला द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिलने से आत्महत्या किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

1 घंटा 30 मिनट

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में श्री अजीत जोगी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर

दिनांक 29 अगस्त,2011

देवेन्द्र वर्मा

सचिव.